न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार न्योल
प्रकरण सख्या:—50/20 रेवेन्यु निर्णय दिनांक:—01.05.2024

1 रमिला पिता मंगला जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1 श्री अमरा पिता हुरमा जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
2 श्री केशवलाल पिता हुरमा जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
3 श्रीमती वाली पत्नि गांगा जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
4 टीना पिता गांगा जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
5 मंजु पिता गांगा जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
6 गीता पिता गांगा जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
7 काली पिता गांगा जाति मीणा निवासी गन्दवा फला भाटोडिया तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।
8 श्री भुमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88,53,188 व 209 रा.टी. एक्ट

उपस्थित :— श्री गौतमलाल रोत वादीया की ओर से
श्री भगवान गुर्जर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीया व प्रतिवादीगण गांव गन्दवा के स्थायी निवासी है। वादीया एवं प्रतिवादीगण की विरासती संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी मौजा गन्दवा में खाता संख्या 115, खसरा नम्बर 4423 खेत किता 1, कुल रकबा 0.8737 हैक्टेयर होकर वादीया व प्रतिवादीगण पूर्वजों से काबिज होकर कृषि करते आ रहे है। वादीया ने अपने संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी में पारिवारिक बंटवारे अनुसार आयी 1/2 हिस्से की भूमि में काश्त करती आ रही है। हाल जमाबंदी नकल में वादीया, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 संयुक्त रूप से नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार है। मौजा गन्दवा में खाता संख्या 115, खसरा नम्बर 4423 खेत किता 1, कुल रकबा 0.8737 हैक्टेयर जिसमें पारिवारिक बंटवारे अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का हिस्से के अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किये जावे।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली की सॅपुर्ण कार्यवाही को पुर्ण कर मौजा गन्दवा में खाता संख्या 115, खसरा नम्बर 4423 खेत किता 1, कुल रकबा 0.8737 हैक्टेयर हिस्सा अनुसार प्रारम्भिक डिकी फैसला कर बंटवारा स्कीम पेश करने निर्णय दिया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज 2 पर

न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार पालना को लेकर तहसीलदार झौथरी से बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई। जिसके बाद तहसीलदार झौथरी द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पेश की गई। बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात पत्रावली का मनन किया गया तथा पत्रावली पर किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत बंटवारा स्कीम से असहममता प्रकट नहीं की ऐसी परिस्थिति में प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जानी उचित समझी जाकर यह अंतिम डिक्री पारित की जाती है। जिसके अनुसार वादीया रमीला पिता मंगला को मौजा गन्दवा में स्थित आराजी नम्बर 4423/2 खेत किता 1, रकबा 0.4369, लगान 0.22 पैसे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अमरा पिता हुरमा, केशवलाल पिता हुरमा, वाली पत्नि गांगा, टीना पिता गांगा, मंजु पिता गांगा, गीता पिता गांगा, काली पिता गांगा को मौजा गन्दवा में स्थित आराजी नम्बर 4423/1 खेत किता 1, रकबा 0.4368, लगान 0.22 पैसे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा इस निर्णय अनुरूप रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तथा बाद बटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के पश्चात कोई भी पक्ष किसी दुसरे पक्ष की भूमि के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे इस बाबत आदेश दिया जाना उचित समझा जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद डिक्री किया जाकर वादीया रमीला पिता मंगला को मौजा गन्दवा में स्थित आराजी नम्बर 4423/2 खेत किता 1, रकबा 0.4369, लगान 0.22 पैसे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अमरा पिता हुरमा, केशवलाल पिता हुरमा, वाली पत्नि गांगा, टीना पिता गांगा, मंजु पिता गांगा, गीता पिता गांगा, काली पिता गांगा को मौजा गन्दवा में स्थित आराजी नम्बर 4423/1 खेत किता 1, रकबा 0.4368, लगान 0.22 पैसे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीम एवं नक्शा टेस अभिन्न अंग है। बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष की भूमि में अतिक्रमण कब्जा नहीं करे। इस बाबत स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

ाज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

जलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

करण संख्या– 50/20 रेवेन्यु

ी रमिला बनाम अमरा वगैरह

ाद बाबतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम वंएवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

ह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरूः– श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–

श्री गौतमलाल रोत मिनजानिब मुदई उपस्थित व मिनजानिब मुदायलाह श्री भगवान गुर्जर उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

वादीया रमीला पिता मंगला को मौजा गन्दवा में स्थित आराजी नम्बर 4423/2 खेत किता 1, रकबा 0.4369, लगान 0.22 पैसे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अमरा पिता हुरमा, केशवलाल पिता हुरमा, वाली पत्नि गांगा, टीना पिता गांगा, मंजु पिता गांगा, गीता पिता गांगा, काली पिता गांगा को मौजा गन्दवा में स्थित आराजी नम्बर 4423/1 खेत किता 1, रकबा 0.4368, लगान 0.22 पैसे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा स्कीन एवं नक्शा टेस अभिन्न अंग है। बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष की भूमि में अतिक्रमण कब्जा नहीं करे। इस बाबत स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है। नियमानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 01.05.2024 को जारी की गई

दस्तखत. . . उपखण्ड अधिकारी . . . . .
ओहदा . . . . . सीमलवाडा . . . . .

मुदई	रूपया/पैसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प व जेह सबुत		म्हेनतनामा वकील	
म्हेनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर		फिस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा